अध्याय
9

तकनीक

जैसे-जैसे तकनीक तेजी से अपने पैर पसार रही है, वैसे-वैसे बाजार की सूरत भी बदलती जा रही है, और यही वजह है कि व्यवस्था में न केवल तेजी और सहजता आई है, बल्कि बाजार की समूची व्यवस्था आपस में एक दूसरे से जुड़ भी गई है। यही वजह है कि सेबी लगातार नई-नई तकनीक अपना रहा है, जैसै कि डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और बाजार पर और पैनी नज़र रखने के बेहतरीन टूल। ये कदम इसलिए उठाए गए हैं कि अगर बाजार में कहीं भी कभी जैसे ही कोई गड़बड़ी हो तो उसकी खबर तुरंत मिल जाए और साथ ही साइबर हमलों के खतरों से निपटने के लिए तैयारी और बेहतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि तहकीकात करने की व्यवस्था भी और पुख्ता हो सके। साथ ही साथ, सेबी का पूरा जोर प्रक्रियाओं को तकनीक से जोड़कर कार्यप्रणाली को आसान बनाने पर हमेशा रहा है, लेकिन ऐसा करते समय सेबी ने इस बात को भी पूरी-पूरी तरजीह दी कि निवेशकों का भरोसा भी न टूटे, वे आसानी से इन्हें अपना सकें और साथ ही साथ उनके हितों पर कोई आँच भी न आए।

9.1 साइबर सुरक्षा

9.1.1 मार्केट सिक्यूरिटी ऑपरेशंस सेंटर

सिक्यूरिटीज़ मार्केट की पूरी व्यवस्था में साइबर हमलों से निपटने की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए, सेबी ने अपनी विनियमित एंटिटियों (आर.ई.) के लिए सी.एस.सी.आर.एफ. (साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने की क्षमता के ढाँचे) के तहत मार्केट सिक्यूरिटी ऑपरेशंस सेंटर (एम-एस.ओ.सी.) बनाने की पहल की।

एम-एस.ओ.सी. के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. छोटी आर.ई. को साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए किफायती सेवाएँ देना;

ii. ऐसी सुविधाएँ देना जिनसे साइबर हमलों की घटनाओं की भनक आसानी से लग सके, उन पर नज़र रखी जा सके और साथ ही उनसे कारगर ढंग से निपटा जा सके;

iii. सेल्फ-सर्टिफिकेशन (स्व-प्रमाणित) आर.ई. और छोटी आर.ई. के पास यदि पर्याप्त तकनीकी सुविधाएँ आदि न हों, तो उन्हें तकनीकी सुविधाएँ आदि मुहैया करवाना।

एन.एस.ई. और बी.एस.ई. दोनों ने अप्रैल 2025 में एम-एस.ओ.सी. बनाए, जिनका इस्तेमाल कई आर.ई. एक-साथ कर सकती हैं, जिनसे और आर.ई. भी जुड़ सकती हैं और जिनका इस्तेमाल करना उनके लिए किफायती भी है। 30 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 376 आर.ई. (जिनमें स्टॉक ब्रोकर्स, पी.एम.एस. एंटिटियाँ, ए.आई.एफ. और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ शामिल हैं) एन.एस.ई. और बी.एस.ई. के एम-एस.ओ.सी. से जुड़ भी चुकी हैं।

9.1.2 साइबर सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में सेबी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, सेबी ने साइबर सुरक्षा के ढाँचे को और मजबूत करने की दिशा में अपने आर.ई. के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के दौरान दुनियाभर में अपनाई जा रही बेहतरीन पद्धतियों की जानकारी दी गई और सामने आने वाले नए-नए साइबर जोखिमों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी दी गई। इनमें से कुछ कार्यक्रमों का जिक्र नीचे किया गया है:

क. **साइबर सुरक्षा के संबंध में सेबी के प्रयास:** सेबी ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति सचिवालय, आर.आर.यू. (राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय) और एन.आई.एस.एम. के साथ मिलकर, अगस्त 2025 में साइबर सुरक्षा के संबंध में चर्चा एवं व्यवहारिक अभ्यास-सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में न केवल जानकारी साझा की गई, बल्कि उसे अमली-जामा पहनाने के प्रयास भी किए गए। इस अभ्यास-सत्र में दस अलग-अलग संगठनों के 100 से अधिक ऐसे प्रोफेशनल्स (पेशेवर व्यक्तियों) ने हिस्सा लिया, जो आर.ई. में तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए थे।

ख. **इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी ऑडिटर्स हेतु प्रशिक्षण:** सेबी ने आर.आर.यू. और एन.आई.एस.एम. के साथ मिलकर नवम्बर 2025 में इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी ऑडिटर्स के लिए पाँच दिनों के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसके दौरान उन्हें जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उसे अमली-जामा पहनाने के प्रयास भी किए गए। इस प्रशिक्षण के दौरान तकनीक के अलग–अलग क्षेत्रों के 115 प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्हें अहम ऑडिट कंट्रोल के बारे में बताया गया और इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन टूल एवं तकनीक से रूबरू भी करवाया गया।

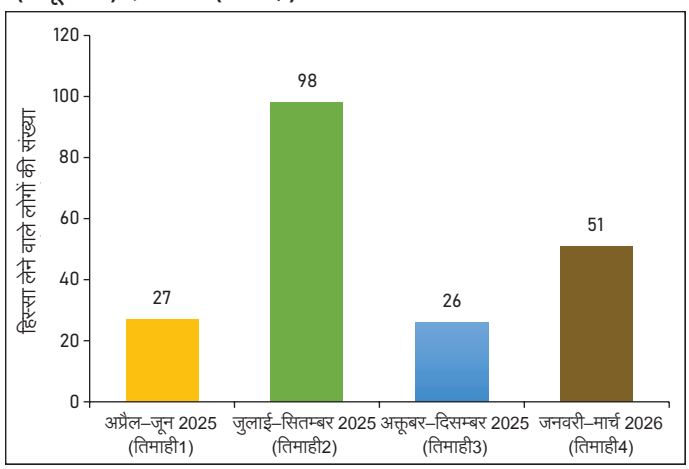
ग. **सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों हेतु प्रशिक्षण आदि:** सिक्यूरिटीज़ मार्केट में साइबर हमलों से निपटने की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए की जा रही अपनी निरंतर कोशिशों की कड़ी में एक और कोशिश करते हुए, सेबी ने वर्ष 2025-26 के दौरान 'साइबर सुरक्षा के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति' (एच.पी.एस.सी.-सी.एस.) के

मार्गदर्शन में और सर्ट-इन के सहयोग से साइबर सुरक्षा के संबंध में कई 'चर्चा एवं व्यवहारिक अभ्यास-सत्र' आयोजित किए। इस वर्ष के दौरान, ऐसे चार सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से साइबर सुरक्षा के संबंध में एक सत्र तो पूरे दिन के लिए आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, यह मिलकर तय किया गया कि रैनसमवेयर से जुड़ा हमला होने पर उससे निपटने के लिए क्या-क्या करना होगा, और साथ ही डिजिटल सिमयूलेशन वाला एक अभ्यास-सत्र आयोजित किया गया, जिसके दौरान उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि वे असल में साइबर हमलों आदि का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष के 'चर्चा एवं अभ्यास-सत्र' का मुख्य विषय कुछ इस प्रकार था: 'साइबर हमलों आदि से निपटने की पहले से तैयारी - हमलों आदि से निपटने के लिए तैयार रहना; कार्रवाई करना; सिस्टम आदि दुरुस्त करके बहाल करना और यह तय करना कि अन्य पक्ष (थर्ड-पार्टी) की वजह से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए कैसी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं'। इस वर्ष खास तौर पर ये अभ्यास-सत्र छोटी और मझौली आर.ई. (जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और ए.एम.सी.) के लिए आयोजित किए गए।

इन अभ्यास-सत्रों में 107 अलग-अलग आर.ई. के 202 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें वरिष्ठ अधिकारी, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स, कंप्लायन्स ऑफिसर (अनुपालन अधिकारी), सामान्य कामकाज से जुड़े अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी / मुख्य तकनीक अधिकारी आदि भी शामिल थे, और इन सत्रों के दौरान संचालन (गवर्नेंस), तकनीक और साइबर हमलों की घटनाओं से उबरने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से जुड़े कई पहलुओं के संबंध में चर्चा की गई **(आकृति 9.1)**।

घ. **"क्वांटम रेसिलिएन्सी" के संबंध में कार्यशाला:** सेबी ने "क्वांटम रेसिलिएन्सी" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सेबी की आर.ई. के 100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला के दौरान आपस में यह चर्चा की गई कि "क्वांटम" का असर कहाँ-कहाँ हो सकता है, माइग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और "क्वांटम" से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए क्या योजना बनाई जाए।

आकृति 9.1: 'चर्चा एवं व्यवहारिक अभ्यास-सत्रों' के दौरान विनियमित (रेग्यूलेटेड) एंटिटियों (आर.ई.) की ओर से कितने लोगों ने हिस्सा लिया



9.1.3 स्पेशल पर्पज़ कॉम्प्रिहेंसिव वेलिडेशन ऑडिट

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या सिक्यूरिटीज़ मार्केट में साइबर सुरक्षा के लिए सभी एहतियात बरते गए और क्या साइबर सुरक्षा के ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी कदम उठाए जाएँ उन्हें बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए, सेबी ने बेहद अहम विनियमित (रेग्यूलेटेड) एंटिटियों का स्पेशल पर्पज़ कॉम्प्रिहेंसिव वेलिडेशन ऑडिट करवाया, जिसके दौरान उनका साइबर ऑडिट करवाया गया, उनकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग (वी.ए.पी.टी.) करवाई गई और उनका साइबर कैपेबिलिटी इंडेक्स (सी.सी.आई.) देखा गया।

वर्ष 2025-26 के दौरान, सेबी ने 13 स्टॉक ब्रोकर्स का वेलिडेशन ऑडिट किया।

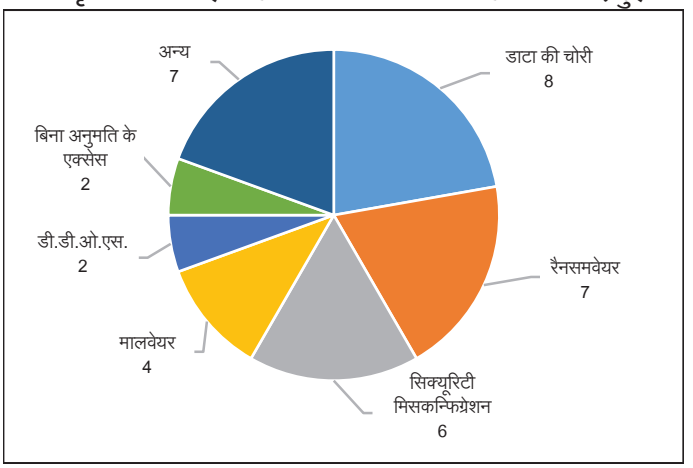
9.1.4 साइबर हमलों की घटनाओं पर नज़र रखना

सेबी यह सुनिश्चित करता है कि अगर सिक्यूरिटीज़ मार्केट में साइबर हमले की कोई घटना हो, तो उसकी जानकारी निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर दे दी जाए और उनसे पूरी तरह से निपटने तक उन पर लगातार नज़र रखी जाए। साइबर हमले की किसी घटना की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, इस बात पर गौर करने के बाद घटनाओं की जानकारी सेबी की साइबर सुरक्षा के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एच.पी.एस.सी.-सी.एस.) को दी जाती है, ताकि वह समिति साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने के ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए सभी आर.ई. का मार्गदर्शन कर सके और अपनी सुझाव आदि दे सके। सेबी यह विश्लेषण करता है कि साइबर हमले की घटना किन नियम-कायदों का पालन न करने की वजह से हुई और फिर जरूरी कार्रवाइयाँ आदि करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, सेबी को साइबर हमलों की 36 घटनाओं की जानकारी 'साइबर इंसीडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल' के जरिए दी गई **(आकृति 9.2)**।

9.1.5 इंटरमीडियरीज़ के आई.टी. सिस्टम का निरीक्षण

एम.आई.आई. और स्टॉक ब्रोकर्स के आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी) के सिस्टम का हर वर्ष विनियामक (रेग्यूलेटरी) निरीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों (सर्कुलर्स) और अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। यह भी देखा जाता है कि यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे दूर करने के लिए एंटिटी को कौन-कौन से कदम उठाने की जरूरत है, जोखिमों से निपटने के लिए क्या-क्या करने की जरूरत है, आई.टी. सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिहाज से क्या-क्या करने की जरूरत है, जवाबदेही और पारदर्शिता का स्तर और ऊँचा उठाने के लिए क्या-क्या करने की जरूरत है, और साथ ही कामकाज को और बेहतर बनाने के

आकृति 9.2 : साइबर हमलों की किस-किस तरह की घटनाएँ हुईं



लिए क्या-क्या करने की जरूरत है। वर्ष 2025-26 के दौरान सेबी ने 18 इंटरमीडियरीज़ के आई.टी. सिस्टम के वार्षिक निरीक्षण किए।

9.1.6 सी.एस.सी.आर.एफ के संबंध में स्पष्टीकरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए. क्यू.)

साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने की क्षमता के ढाँचे (सी.एस.सी.आर.एफ) से जुड़े प्रावधानों का पालन करना आसान बनाने के लिए, सेबी ने एंटिटियों आदि से उनके सुझाव लिए, यह जानने की कोशिश की कि प्रावधानों का पालन करने में उन्हें क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं और यह जायज़ा भी लिया कि साइबर हमलों के कौन-कौन से नए-नए खतरे सामने आ रहे हैं। इस प्रकार लिए गए सुझावों आदि के मद्देनज़र सभी पहलुओं पर गौर करते हुए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) जारी किए गए। स्पष्टीकरण जिन विषयों पर दिए गए, उनमें शामिल हैं:

i. सी.एस.सी.आर.एफ. के प्रावधानों [संचालन (गवर्नेंस), जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट), वी.ए.पी.टी. और साइबर ऑडिट आदि से संबंधित] को और स्पष्ट करने के संबंध में

ii. आर.ई. को अलग-अलग श्रेणियों में किस आधार पर बाँटा गया है और उन्हें किन-किन प्रावधानों का पालन करना है, इसके संबंध में

iii. जो एंटिटियाँ एक से ज्यादा विनियामकों (रेग्यूलेटर्स) के दायरे मे आती हों उन्हें किन-किन प्रावधानों का पालन करना होगा, इसके संबंध में।

9.1.7 "क्वांटम रेसिलिएन्सी" के प्रति सेबी का नजरिया

"क्वांटम" से जुड़े जोखिमों का सामना बाजार को न करना पड़े, इसके लिए पहले से तैयार रहने के उद्देश्य से सेबी ने एम.आई.आई. और दूसरे आर.ई. के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन सत्रों के मुख्य-मुख्य विषय इस प्रकार हैं: क्रिप्टोग्राफिक बिल ऑफ मटेरियल्स (सी.बी.ओ.एम.), सामने आ रहे नए-नए जोखिम आदि, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पी.क्यू.सी.) की ट्रांजिशन और माइग्रेशन प्लानिंग, संबंधित ऐप्लिकेशन और यूज़ केस और साइबर हमलों से निपटने की व्यवस्था।

सेबी ने डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.एस.सी.आई.) के साथ मिलकर "क्वांटम कोहोर्ट" विषय पर एक सत्र और कार्यशाला का आयोजन किया। इस सत्र में हिस्सा लेने वालों ने यह जायज़ा लिया कि क्वांटम कम्प्यूटिंग का सिक्यूरिटीज़ मार्केट की पूरी व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है और माइग्रेशन स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा हुई। साथ ही, इस सत्र में हिस्सा लेने वालों ने इसे अपनाने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतें भी आपस में साझा कीं।

वैश्विक स्तर पर, सेबी को आयस्को के फिनटेक टास्क फोर्स (एफ.टी.एफ.) के क्वांटम कम्प्यूटिंग वर्किंग ग्रुप (क्यू.डब्ल्यू.जी.) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी ने क्वांटम कम्प्यूटिंग के संबंध में क्षमता का आकलन करने और इसे लेकर तैयारी कितनी है, इसके भी आकलन में अपना योगदान दिया। इससे भारत के शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) को आगे के लिए तैयार रखने में और क्वांटम कम्प्यूटिंग के सिलसिले में पैदा हो सकने वाले खतरों से निपटने में मदद मिली **(बॉक्स 9.1)**।

बॉक्स 9.1: "क्वांटम" से जुड़े जोखिम और उन पर काबू पाना

वित्तीय बाजारों का पूरा ढाँचा किसी भी बाजार की समूची व्यवस्था के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन अगर "क्वांटम" से जुड़े खतरों का सामना हो जाए तो इससे संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में पड़ने की वजह से उसकी गोपनीयता पर असर पड़ सकता है और धोखेबाज लोग फर्जी हस्ताक्षर या लेनदेन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रिप्टोग्राफिक बदलावों की वजह से सिस्टम में खलल भी पड़ सकता है।

सेबी यह भली-भाँति जानता है कि क्वांटम कम्प्यूटिंग की वजह से क्रिप्टोग्राफिक सिक्यूरिटी खतरे में पड़ सकती है, और जिससे वित्तीय बाजारों की व्यवस्था पर भरोसा भी डगमगा सकता है। यही वजह है कि सेबी ने क्वांटम कम्प्यूटिंग की वजह से पैदा हो रहे जोखिमों से निपटने के लिए पहले से ही हर पहलू पर गौर करके अपनी रणनीति तैयार कर ली है।

भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एन.क्यू.एम.) के तहत सेबी ने साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने की अपनी रणनीति में क्वांटम रेसिलिएन्सी को मुख्य तौर पर शामिल किया है, ताकि *'Harvest-Now-Decrypt Later', 'Trust-Now-Forge-Later'* जैसे जोखिमों का समय रहते सामना किया जा सके।

(जारी...)

आगे की तैयारी पहले से रहे, इसके लिए सेबी ने आर.ई. को ये निदेश दिए कि वे:

i. व्यापक "क्रिप्टोग्राफिक असेट इनवेंटरी" बनाकर रखें

ii. पी.क्यू.सी. और "क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन" का आकलन करें

iii. "क्रिप्टोग्राफिक एजिलिटी" की तरफ पूरा ध्यान दें

iv. समूची व्यवस्था पर लगातार नज़र रखें

v. आगे की रणनीति तैयार रखें और इस काम से जुड़े लोगों को माहिर बनाएँ

सेबी ने "क्वांटम" को लेकर अपनी तैयारी रखने और क्रिप्टोग्राफी से जुड़े मामलों में पैदा होने वाले खतरों से निपटने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) की आंतरिक व्यवस्था का खाका इन तीन हिस्सों में बाँट दिया है: सबसे पहले पता लगाना, फिर नजर रखना और उसके बाद जरूरी बदलाव करना।

सेबी भारत के एन.क्यू.एम. से जुड़े कार्य-दल (टास्क फोर्स) के उप-समूह (सब-ग्रुप) का एक सक्रिय सदस्य भी है। सेबी वैश्विक स्तर पर आयस्को के फिनटेक टास्क फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और साथ ही प्रशिक्षण आदि भी प्रदान कर रहा है, ताकि भारत के शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) से जुड़े लोगों को "क्वांटम" से जुड़े जोखिमों से आगाह करने के साथ-साथ उन्हें इनसे निपटने के लिए तैयार भी रखा जा सके।

9.2 बाजार की पूरी व्यवस्था में तकनीक

9.2.1 निवेशकों के लिए निवेश करना सुविधाजनक बनाने और उनके हितों की रक्षा करने की दिशा में उठाए गए कदम

क. **विज्ञापन देने वालों की पुष्टि करने के लिए ए.पी.आई.:** सेबी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स (एस.एम.पी.पी.) के साथ मिलकर एक ए.पी.आई. वाला फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वही इंटरमीडियरी सिक्यूरिटीज मार्केट से जुड़े विज्ञापन दे सकें, जो सेबी से रजिस्टर हों और जिनकी पुष्टि सिस्टम से हो गई हो। इस प्रक्रिया के तहत विज्ञापन देने वालों को संबंधित एस.एम.पी.पी. के जरिए पुष्टि करवानी होती है। इस प्रक्रिया के तहत दो बार पुष्टि होती है, और इस तरह से एक बार पुष्टि की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद विज्ञापन देने वाले अपने विज्ञापन इन प्लेटफॉर्मों पर जारी कर सकते है। यह ए.पी.आई. विज्ञापन जारी करने वालों के ब्यौरे आदि की पुष्टि सेबी के डाटाबेस से तत्काल कर लेता है, ताकि ऐसा कोई विज्ञापन जारी न हो सके जिसके जरिए निवेशकों को गुमराह करने की कोशिशे की जा रही हों।

ख. **"डिजिटल एक्सेसिबिलिटी" की दिशा में उठाए गए कदम:** दिव्यांगजनों को भी शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में शरीक होने का पूरा अवसर मिले, यह जरूरी है कि उन्हें आर.ई. के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा एक्सेस मिले। इसके मद्देनज़र, सेबी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार 31 जुलाई, 2025 को एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी करके अपनी आर.ई. के लिए यह सुनिश्चित करना लाजिमी कर दिया कि शेयर बाजार में हर व्यक्ति निवेश कर पाए, फिर चाहे वे दिव्यांगजन ही क्यों न हों।

ग. **मान्य यू.पी.आई. हैंडल और सेबी चेक के जरिए निवेशकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक और कदम:** शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में धोखाधड़ी के मामलों पर नकेल कसने के लिए, सेबी ने मान्य यू.पी.आई. हैंडल की व्यवस्था की शुरूआत की। यह पहल इस उद्देश्य से की गई है कि जो एंटिटियाँ रजिस्टर न हों, वे निवेशकों से अनधिकृत तरीके से पैसा जुटा ही न पाएँ। इस नई व्यवस्था के तहत, निवेशकों से भुगतान स्वीकार करने वाले इंटरमीडियरी केवल "@" मान्य यूपीआई हैंडल के जरिए ही भुगतान स्वीकार करेंगे (**बॉक्स 9.2**)।

बॉक्स 9.2: मान्य यू.पी.आई. हैंडल और सेबी चेक के जरिए निवेशकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक और कदम

शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में धोखाधड़ी के मामलों पर नकेल कसने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान किसी गलत एंटिटी को न कर दिया जाए, सेबी ने एक-जैसी एंटिटियों के लिए एक-जैसे मान्य यू.पी.आई. हैंडल की व्यवस्था की शुरूआत की। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया है कि निवेशक उन एंटिटियों के झांसे में आकर भुगतान न करें, जो रजिस्टर हुए बिना निवेशकों को गुमराह करके उनसे पैसा जुटाती हैं। यह कार्य सेबी, एन.पी.सी.आई., बैंकों और इंटरमीडियरीज़ ने मिलकर किया है, ताकि निवेशकों को इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय कोई दिक्कत पेश न आए। सेबी ने यह व्यवस्था **1 अक्तूबर, 2025** से शुरू की, और निवेशकों से भुगतान स्वीकार करने वाले सभी इंटरमीडियरीज़ को यह निदेश दिया है कि वे केवल "**@valid**" यू.पी.आई. हैंडल के जरिए ही निवेशकों से भुगतान स्वीकार करें।

(जारी...)

सुरक्षित भुगतान: "@valid" हैंडल की व्यवस्था के जरिए

निवेशकों से सरोकार रखने वाले सेबी से रजिस्टर हर इंटरमीडियरी के लिए हर यू.पी.आई. अड्रेस की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर यू.पी.आई. आई.डी. का अलग-अलग फॉर्मेट निर्धारित कर दिया गया है।

- **अलग हैंडल:** हर आई.डी. में सेल्फ-सर्टिफाइड (स्व-प्रमाणित) सिंडीकेट बैंक के नाम के साथ-साथ एक हैंडल, **@valid**, भी रखा जाता है (जैसे: *name.brk@validhdfc*).
- **यूज़रनेम और बाद में जोड़े जाने वाले अक्षर:** इंटरमीडियरीज़ ऐसा आई.डी. बनाते हैं, जिससे उनके बिजनेस का नाम साफ समझ आ जाए और फिर उसके बाद उन्हें कुछ अक्षर जोड़ने होते हैं, जैसे कि अगर वे स्टॉक ब्रोकर हों तो उन्हें **.brk** जोड़ना होगा और अगर वे म्यूचुअल फंड हों तो उन्हें **.mf** जोड़ना होगा।
- **देखने से ही पुष्टि हो जाती है:** कोई भी भुगतान करते समय जब निवेशक अपने ऐप पर पुष्टि करेंगे, तो उन्हें **"हरे त्रिकोण में thumbs-up"** वाला आइकॉन दिखाई देगा। भुगतान करने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि क्या यू.पी.आई. ऐप पर बेनिफिशियरी के नाम में यह आइकॉन दिख रहा है, न कि भुगतान के लिए दिए गए यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड में। अगर यह आइकॉन न दिखे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह एंटिटी सेबी से रजिस्टर नहीं है।



"सेबी चेक" - निवेशकों की रक्षा की खातिर एक कदम

इसके अलावा, एक **'सेबी चेक'** टूल भी बनाया गया है। इस डिजिटल सुविधा की मदद से निवेशक किसी भी इंटरमीडियरी को कोई पैसा ट्रांसफर करने से पहले उस इंटरमीडियरी की पुष्टि कर सकते हैं। निवेशक यू.पी.आई. आई.डी. खुद डालकर या क्यू.आर. कोड स्कैन करके, यह पुष्टि कर सकते हैं कि:

- इंटरमीडियरी का रजिस्ट्रेशन मान्य है या नहीं।
- बैंक खाते का नंबर रजिस्टर एंटिटी का है या नहीं।

इस संबंध में 11 जून, 2025 को परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया गया था, फिर उसके बाद यह व्यवस्था 1 अक्तूबर, 2025 से शुरू की गई। नीचे दी हुई सारणी से यह पता चलता है कि अक्तूबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान उन निवेशकों से भुगतान स्वीकार करने वाले कुछ वर्ग विशेष के इंटरमीडियरीज़ को कितना भुगतान प्राप्त हुआ, जिन्होंने "सेबी चेक" की सुविधा के जरिए पुष्टि करके भुगतान किया।

	कितने लेनदेन हुए	कुल रकम (₹ करोड़ में)
किन्हें पैसे मिले		
ब्रोकर्स को	21,31,83,570	2,95,778
आई.पी.ओ. के तहत	1,06,71,910	20,458
म्यूचुअल फंडों को	70,36,111	8,475
किन्हें फीस मिली		
अनुसंधान विश्लेषकों (रिसर्च एनालिस्ट्स) को	2,52,653	107
निवेश सलाहकारों को	56,725	19

स्रोत: एन.पी.सी.आई.

9.2.2 प्रोजेक्ट सुदर्शन

सोशल मीडिया के जरिए की जानी वाली धोखाधड़ी की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, उनसे छोटे निवेशक आगाह रहें, इस उद्देश्य से सेबी ने ए.आई. से चलने वाले इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म "प्रोजेक्ट सुदर्शन" की शुरूआत की (**बॉक्स 9.3**)।

9.2.3 नज़र रखने (सर्वेलेंस), तहकीकात करने (इन्वेस्टिगेशन) और प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) की दिशा में उठाए गए कदम

क. **फिननेट:** जो लेनदेन शक के घेरे में हों, वित्तीय आसूचना एकक–भारत (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया / एफ.आई.यू.–आई.एन.डी.) उनकी रिपोर्ट (एस.टी.आर.) सेबी के पास इस संबंध में नज़र रखने और कार्रवाई करने के लिए भेजती है। पहले इन रिपोर्टें के संबंध में कार्रवाई फिनेक्स 2.0 पोर्टल के जरिए करनी होती थी, जहाँ से अलग-अलग एस.टी.आर. पी.डी.एफ. फॉर्मेट में डाउनलोड करनी होती थी और उसके बाद उनके संबंध में की गई कार्रवाई आदि की सूचना इसी पोर्टल के जरिए देनी होती थी। इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय की बर्बादी होती थी, खासकर तब जब बहुत लंबे-चौड़े डाटा के संबंध में कार्रवाई करनी होती थी।

इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सेबी में ही एक वेब ऐप्लिकेशन बनाया गया है। एफ.आई.यू. के ए.पी.आई. का इस्तेमाल करके, इस सिस्टम से एस.टी.आर. अपने आप ही डाउनलोड हो जाती हैं और वहीं से देखी जा सकती हैं, और इस तरह से प्रक्रिया को काफी सुचारू बना दिया गया है। इस एप्लिकेशन के जरिए कई एस.टी.आर. सीधे ही सेबी द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में डाउनलोड की जा सकती हैं और इस तरह कार्रवाई आदि की सूचना सीधे ही एफ.आई.यू.–आई.एन.डी. को प्रस्तुत की जा सकती है।

बॉक्स 9.3: प्रोजेक्ट सुदर्शन – ए.आई. की मदद से धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने वाला प्लेटफॉर्म

सुदर्शन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी

यह तो जगजाहिर ही है कि सोशल मीडिया का दायरा कितना फैला हुआ है और अब तो यह भी देखा जाने लगा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए निवेश से जुड़े कंटेंट (सामग्री) भी डाले जाने लगे हैं, जिन्हें देखकर लोग बढ़चढ़कर निवेश करने लग गए हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा जाने लगा है कि धोखाधड़ी की गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ गई है और कंटेंट डालने वाले फिनफ्लुएंसर्स अनधिकृत तरीके से अपना काम कर रहे हैं और गलत हथकंडे अपना रहे हैं, जिसकी वजह से जोखिमों की आशंका काफी बढ़ चुकी है। ऐसे फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम कसने के मकसद से, सेबी ने ए.आई. से चलने वाले इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म 'प्रोजेक्ट सुदर्शन' की शुरूआत की है। ए.आई. से चलने वाला यह रेगटेक प्लेटफॉर्म बाजार पर नज़र रखने का एक ऐसा तरीका है, जिसकी मदद से अब यह बदलाव आया है कि कोई गड़बड़ी होने के बाद उसे दूर करने के बजाय, गड़बड़ी होने की भनक मिलते ही तुरंत उसकी जानकारी कार्रवाई हेतु साझा कर दी जाती है।

सुदर्शन का तकनीकी ढाँचा

प्रोजेक्ट सुदर्शन के लिए ऐसे आधुनिक मल्टी-मॉडल ए.आई. का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस आधार पर विश्लेषण करता है कि क्या बोला गया, और क्या कहने या जताने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि यह प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय भाषाओं में डाले गए कंटेंट का भी विश्लेषण कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म इस आधार पर विश्लेषण करता है कि इस तरह से जो कुछ भी किया गया उससे कहीं सेबी के नियम-कायदों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, और इसी हिसाब से यह प्लेटफॉर्म अंक (स्कोर) देकर यह बताता है कि उसमें जोखिम कितना है। इस तरह से सुदर्शन खुद-ब-खुद व्यवस्थित तरीके से अलर्ट जारी करता है जिनके आधार पर आगे जाँच-परख की जा सकती है।

इस सिस्टम की मदद से सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर दिए हुए कंटेंट (जैसे वीडियो, मैसेज, इमेज और विज्ञापन) पर लगातार नज़र रखी जा सकती है। यह सिस्टम खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि यह पता लगाया जा सके कि सोशल मीडिया पर गुमराह करके निवेश करवाने के लिए कैसे-कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि यह पता लगाने के लिए कि निश्चित मुनाफों के दावे कहाँ-कहाँ किए जा रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि प्रमाणित होने को लेकर गलत दावें कहाँ-कहाँ किए जा रहे है, यह पता लगाने के लिए कि खुद को सेबी से विनियमित (रेग्यूलेटेड) एंटिटियाँ बताने के मामले कहाँ-कहाँ सामने आ रहे हैं और यह पता लगाने के लिए कि रजिस्टर हुए बिना निवेश सलाह देने से जुड़े मामले कहाँ-कहाँ सामने आ रहे हैं।

सुदर्शन का असर

इस प्लेटफॉर्म की शुरूआत नवम्बर 2025 में हुई थी। उसके बाद से, इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी के इरादे से डाले गए 20,000 से ज्यादा ऐसे कंटेंट और पोस्ट निकालकर दिए। इस तरह से अब सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब एक-एक कंटेंट या पोस्ट की खुद किसी को बैठकर खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह काम सुदर्शन की मदद से आसानी से होने लग गया है। यह बाजार की व्यवस्था को और पुख्ता करने की दिशा में ही उठाया गया एक कदम है।

9.2.4 कैपिसिटी प्लानिंग और नज़र रखने की व्यवस्था

सेबी ने एम.आई.आई. के कमोडिटी डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट के यहाँ लगे आई.टी. सिस्टम के पर्याप्त होने और उन पर लगातार नज़र रखने के लिए ढाँचा निर्धारित किया है। इस ढाँचे के तहत पहले ही यह अनुमान लगा लिया जाता है कि जिन आई.टी. सिस्टम आदि का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है, उसके मद्देनज़र आगे चलकर कितने आई.टी. सिस्टम आदि की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ज्यादा (पीक) लोड होने पर कितने आई.टी. सिस्टम आदि की जरूरत पड़ सकती है, आगे चलकर कारोबार के और फैलने से कितने आई.टी. सिस्टम आदि की जरूरत पड़ सकती है समय-समय पर स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है, आई.टी. सिस्टम आदि सही तरह से चल रहे हैं या नहीं यह देखने के लिए उनके थ्रूपुट और लेटेंसी पर नज़र रखी जाती है। इस तरह से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिस्टम मजबूती से चलते रहें और बाजार के सुचारू रूप से चलने में कोई खलल न आए।

9.2.5 एम.आई.आई. की सिस्टम और नेटवर्क ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक-जैसा फॉर्मेट

सेबी ने एम.आई.आई. के सिस्टम और नेटवर्क ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक-जैसा फॉर्मेट निर्धारित कर दिया है, ताकि इस रिपोर्ट में वे ही आँकड़े तथा जानकारी दी जाए जो सही हो और देनी जरूरी हो और साथ ही जानकारी आसानी से भी दी जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो भी जानकारी दी जा रही है वह एक ही फॉर्मेट में दी जाए और संचालन (गवर्नेंस) भी और बेहतर तरीके से हो पाएगा। इस फॉर्मेट में आई.टी. सिस्टम, नेटवर्क आर्किटेक्चर और विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधानों के पालन के ऑडिट की टिप्पणियों की जानकारी एक ही तरह से देनी होती है, और टिप्पणियों को अलग-अलग श्रेणियों में भी बाँटा गया है, जैसे कि जोखिमों के आधार पर की गई टिप्पणियों को अलग रखा गया है, सुधार आदि करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमाओं के आधार पर की गई टिप्पणियों को अलग रखा गया है। यह पहल सुपटेक के तहत की गई एक पहल है, जिससे रिपोर्टें एक-जैसे फॉर्मेट में प्रस्तुत की जा सकेंगी और साथ ही सेबी और कारगर ढंग से नज़र रखने (सुपरविज़न) का कार्य भी कर पाएगा।

9.2.6 सुपर ऐप को अपग्रेड करना

इस उद्देश्य से कि निवेशक सभी स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पड़े उनके शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) के आँकड़े एक ही जगह से देख सकें, 20 फरवरी, 2025 को एक ऐप शुरू किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान इस ऐप को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए, जैसे कि शिकायत का निवारण करने / विवाद सुलझाने की सुविधा दी गई, यह देखने की सुविधा दी गई कि निवारण के संबंध में प्रॉक्सी सलाहकारों (एडवाइजर) द्वारा क्या सुझाव आदि दिए गए और यह व्यवस्था भी की गई कि यदि किसी प्रॉक्सी सलाहकार के खिलाफ कोई प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) संबंधी कार्रवाई की जाती है, तो उसके सुझावों आदि को इस ऐप से हटा दिया जाए।

9.2.7 "रेडार"

भारत के सिक्यूरिटीज़ मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और कारगर कदम उठाने के उद्देश्य से और साथ ही विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ए.आई. से चलने वाला एक टूल "रेडार" [R(AI)DAR] ए.एम.सी. के लिए बनाया गया, जिससे नज़र रखना भी आसान होगा और जरूरी कार्रवाई आदि करने में भी मदद मिलेगी। यह टूल विज्ञापनों और निवेशकों को जानकारी प्रदान करने वाली सामग्री को खंगालकर यह बताता है कि प्रावधानों आदि का उल्लंघन कहाँ-कहाँ हुआ, और साथ ही साथ यह भी बताता है कि निवेशकों को शिक्षित करने के लिए जो सामग्री दी जा रही है उसकी आड़ में किसी प्रोडक्ट का प्रचार-प्रसार तो नहीं किया जा रहा और क्या जरूरी डिस्क्लेमर दिए गए या नहीं। इस टूल को ए.एम.एफ.आई. में लगवाया गया है।

9.2.8 कामकाज करना आसान बनाना

क. वर्ष 2025-26 के दौरान, तीन बड़े आई.टी. सॉल्यूशन शुरू किए गए, ताकि बाहरी एंटिटियों के साथ जो भी कम्यूनिकेशन किया जाना हो, वह कारगर ढंग से और कम समय में किया जा सके, अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियाँ (क्वासी जूडिशियल प्रोसीडिंग्स) ऑनलाइन ही की जा सकें और साथ ही इस संबंध में बेहतर ढंग से नज़र रखी जा सके कि साइबर सुरक्षा के संबंध में आर.ई. द्वारा प्रावधानों का पालन किस तरह से किया जा रहा है **(बॉक्स 9.4)**।

बॉक्स 9.4: तकनीकी बदलाव: कामकाज को और आसान बनाने हेतु

सेबी वर्ष 2025-26 के दौरान तीन नए आई.टी. सॉल्यूशन लाया, ताकि कार्य-प्रक्रियाओं में तेजी आए, अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों (क्वासी-ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स) की प्रक्रियाओं को कुछ हद तक तकनीक से जोड़ा जा सके और सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों की साइबर सुरक्षा और कड़ी की जा सके। इस तरह से एक बड़ा बदलाव लाया गया है, ताकि प्रक्रिया ऑनलाइन व पारदर्शी हो और समूची व्यवस्था डाटा-आधारित हो (ऑनलाइन हो)।

सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर कम्यूनिकेशन्स (सुपकॉम्स)

पहले जिस तरह से एक परंपरागत तरीके से ईमेल भेजे जाते थे उसकी जगह यह प्लेटफॉर्म लाया गया, ताकि बाहरी एंटिटियों के साथ कम्यूनिकेशन सुविधाजनक हो सके और जिसका पूरा-पूरा रिकॉर्ड भी रहेगा। यह एंटिटियों [फिर चाहे वे सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आती हों या न आती हों] और सेबी दोनों के लिए आसान और बेहतर रहेगा।

इस प्लेटफॉर्म के जरिए यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि सेबी के किसी भी विभाग द्वारा जब-जब जो-जो कम्यूनिकेशन किया जाए वह एक ही जगह उपलब्ध रहे, ताकि अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण भी हो जाए या फिर वह सेबी छोड़कर चला भी जाए, तब भी कोई दुविधा न हो और हर कम्यूनिकेशन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहे। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूज़र अपने स्तर पर आसानी से कर सकते हैं, और वे यह तय कर सकते हैं कि एक्सेस किसे देना है। इसके अलावा, इस सिस्टम में अपने आप सूचनाएँ भेजने की व्यवस्था है। यही नहीं, बल्कि एंटिटियाँ आसानी से इस व्यवस्था से जुड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, इसमें तो किए गए समस्त कम्यूनिकेशन का पूरा-पूरा रिकॉर्ड (ऑडिट ट्रेल) भी रहता है, जहाँ से यूज़र हर कम्यूनिकेशन का रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह से जवाबदेही किसकी है यह भी तय हो जाता है।

ई-अडजूडिकेशन पोर्टल

सेबी इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि विनियामक (रेग्यूलेटर) के तौर पर ज्यादा से ज्यादा कामकाज ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े। यही वजह है कि सेबी ने एक ऐसा आधुनिक प्लेटफॉर्म बनवाया है जिससे अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियाँ (क्वासी-ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स) ऑनलाइन हो सके। इस प्लेटफॉर्म पर शुरूआत में न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों (अडजूडिकेशन प्रोसीडिंग) के संबंध में बाहरी एंटिटियों (नोटिसियों / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों) को जो सुविधाएँ दी गई हैं, उनमें शामिल हैं:

i. वे सेबी द्वारा जारी की गई कारण बताओ सूचनाएँ (एस.सी.एन.) देख सकती हैं और डाउनलोड भी कर सकती हैं;

ii. वे एस.सी.एन. का जवाब दे सकती हैं और सुनवाई के बाद दस्तावेज प्रस्तुत कर सकती हैं / अपना पक्ष आदि रख सकती हैं;

iii. वे न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजूडिकेशन ऑफिसर) को दस्तावेजों का निरीक्षण करने, जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने का निवेदन, आदि कर सकती हैं;

iv. वे सुनवाई के लिए अलग से बनाए गए मॉड्यूल के जरिए कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्स) में हिस्सा ले सकती हैं।

यह पोर्टल सेबी के केस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो और इस तरह से प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) संबंधी मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। ई-अडजूडिकेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है, और जिसका लिंक इस प्रकार है: https://eadjudication.sebi.gov.in

बाजार से जुड़े लोगों (मार्केट पार्टिसिपेंट्स) से यह कहा गया है कि वे न्यायनिर्णयन (अडजूडिकेशन) से संबंधित मामलों में इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इस पोर्टल का इस्तेमाल करने से जुड़ी समस्त जानकारी इसी पोर्टल पर ही दी हुई है।

साइबर-सेक ऑडिट कंप्लायन्स (सी-सेक)

सेबी के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर नज़र रखने के लिए सेबी ने ए.आई. से चलने वाला एक प्लेटफॉर्म "सी-सेक" बनवाया है। अब किसी को बैठकर यह देखने की जरूरत नहीं होगी कि वे एंटिटियाँ साइबर सुरक्षा के लिए सभी

(जारी...)

कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यह काम तो पूरी बारीकी से यह टूल खुद-ब-खुद ही कर देता है।

सी-सेक पूरी गहराई से यह विश्लेषण करता है कि सी.एस.सी.आर.एफ. के अनुसार साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं या नहीं। यह प्रस्तुत की गई ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषण करता है और अंक (स्कोर) देकर यह भी बताता है कि जोखिम कितना है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि सभी एंटिटियों का विश्लेषण समय रहते कर लिए जाए और विश्लेषण करने के लिए एक-जैसे पैमाने भी अपनाए जाएँ।

वर्ष 2025-26 के दौरान, इस प्लेटफॉर्म के जरिए 8 एम.आई.आई. और 23 म्यूचुअल फंडों की साइबर ऑडिट रिपोर्टों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया गया, और इस तरह से सेबी बाजार पर साइबर हमलों के खतरों पर अपनी नजर और पैनी कर पाया है।

ख. सेबी के इंटरमीडियरीज़ पोर्टल को और बेहतर बनाना

i. **सिक्यूरिटीज़ ट्रांजैक्शन प्राइज़ इंडेक्स अपने-आप तैयार करने की व्यवस्था:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के निदेशानुसार, सेबी हर तिमाही में आर.ई. से आँकड़े लेकर सिक्यूरिटीज़ ट्रांजैक्शन प्राइज़ इंडेक्स (एस.टी.पी.आई.) की गणना करता है। इस तरह से आँकड़े इकट्ठा करने और इंडेक्स की गणना की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एस.टी.पी.आई. सिस्टम लाया गया है जो अपने आप ही वेटेड इंडेक्स की गणना करने के लिए उसमें डाले गए लॉजिक का इस्तेमाल करता है और साथ ही आँकड़े प्रस्तुत करके उनकी पुष्टि करता है। इस तरह किए गए ऑटोमेशन से बार-बार आँकड़े प्रस्तुत करने और आधार वर्ष (बेस-इयर) बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है और किसी को अलग से यह कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ii. **निवेश सलाहकारों (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स) / अनुसंधान विश्लेषकों (रिसर्च एनालिस्ट्स) को पूर्णकालिक (फुल-टाइम) निवेश सलाहकार / अनुसंधान विश्लेषक से अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार / अनुसंधान विश्लेषक बनने के लिए आवेदन करने की सुविधा आदि:** कामकाज और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए, सेबी के इंटरमीडियरी पोर्टल में निवेश सलाहकारों / अनुसंधान विश्लेषकों को यह सुविधा दी गई है कि वे अब इस पोर्टल के जरिए ही पूर्णकालिक (फुल-टाइम) निवेश सलाहकार / अनुसंधान विश्लेषक से अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार / अनुसंधान विश्लेषक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही यह सुविधा भी दी गई है कि अगर कई इंडिविजुअल (एकल की श्रेणी में आने वाले) निवेश सलाहकार मिलकर एक नॉन-इंडिविजुअल (एकल की श्रेणी में न आने वाले) निवेश सलाहकार बनना चाहते हों, तो ऐसे में वे अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ही रख सकते हैं। इस तरह से उन्हें नए सिरे से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, और साथ ही सक्षम प्राधिकारी के लिए भी इस संबंध में समीक्षा करना और मंजूरी देना आसान हो गया है। इससे विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधानों के पालन पर नज़र और बेहतर तरीके से रखी जा सकेगी, क्योंकि सभी इंडिविजुअल निवेश सलाहकार के रजिस्ट्रेशन, ए.टी.आर. और स्कोर्स से संबंधित रिकॉर्ड की मैपिंग नए नॉन-इंडिविजुअल निवेश सलाहकार से हो जाती है।

9.3 सेबी में तकनीक

9.3.1 विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधानों आदि के पालन पर नज़र रखने की दिशा में उठाए गए कदम

क. इन्फोमर्ज: इन्फोमर्ज सेबी के एनालिटिक्स पोर्टल में सेबी के अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) विभाग के लिए बनाया गया एक ऐप्लिकेशन है। तहकीकात करने के लिए जो भी कार्य करने जरूरी होते हैं, जैसे कि आँकड़े (डाटा) जुटाना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना, वे सभी कार्य इस पोर्टल के जरिए अपने आप ही हो जाते हैं, और इस तरह से किसी मामले के संबंध में काफी कम समय में ही कार्यवाही की जा सकती है। फिलहाल यह पी.आई.टी. और पी.एफ.यू.टी.पी. से जुड़े मामलों की जाँच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

i. अलग-अलग जगह (जैसे केवाईसी, ट्रेड लॉग आदि) से मिलने वाले आँकड़ों का विश्लेषण करने की सुविधा दी गई, ताकि गलत मंसूबों से किए गए लेनदेन का पता लगाया जा सके और आपस में तार जोड़े जा सकें, और साथ ही एआई की मदद से संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा भी प्रदान की गई;

ii. एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें मामले से जुड़े जरूरी ब्यौरे दिए हुए हों, जैसे कंपनी द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी और प्राइस-वॉल्यूम चार्ट भी दिए गए हों;

iii. आपस में तार जोड़कर यह तस्वीर बनाना की सुविधा दी गई कि उल्लंघन किनके द्वारा किए गए होंगे;

iv. अपने-आप समन जारी किए जाने की सुविधा दी गई;

v. अन्वेषण प्राधिकारी (इन्वेस्टीगेशन अथॉरिटी) की नियुक्ति के लिए अपने आप कार्यालय नोट तैयार होने की सुविधा दी गई।

ख. अन्य कदम

i. लगातार निगरानी करने के उद्देश्य से, स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, निवेश सलाहकारों तथा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के यहाँ जाए बिना किए जाने वाले निरीक्षणों के मामले में नए अलर्ट बनाए गए।

ii. स्टॉक ब्रोकर्स के सिस्टम ऑडिट पर ऑनलाइन नज़र रखने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया।

iii. आर.ई. द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए, 'सामूहिक प्रतिवेदन मंच' नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया, जिसके जरिए स्टॉक ब्रोकर प्रावधानों आदि के पालन के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकते हैं।

iv. अनधिकृत तरीके से किए जाने वाले ट्रेड रोकने के लिए और ट्रेडिंग टर्मिनल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ट्रेडिंग टर्मिनल्स की पहचान की गई।

v. ट्रेडिंग करना सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तकनीक के नजरिए से कदम उठाए गए (सिम बाइंडिंग की गई): ग्राहक के यू.सी.सी. कोड को उसके फोन और मोबाइल नंबर से जोड़ दिया जाता है, ताकि किसी भी लेनदेन के मामले में उसकी पुष्टि और पुख्ता तरीके से की जा सके।

vi. प्रावधानों आदि के पालन के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें स्टॉक ब्रोकर्स के जैसे ही पोर्टल के जरिए प्रस्तुत करने की सुविधा क्लीयरिंग मेम्बर्स को भी दी गई।

9.3.2 प्रावधानों आदि के पालन पर नज़र रखना

क. ए.आई.एफ. प्रावधानों आदि का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका एक डैशबोर्ड: एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया गया है, जहाँ से यह देखा जा सकता है कि ए.आई.एफ. द्वारा प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं, सभी ए.आई.एफ. के आँकड़े एक जगह से ही देखे जा सकते हैं, फाइलिंग आदि की स्थिति देखी जा सकती है और ऑडिट रिपोर्टें भी देखी जा सकती हैं। इस डैशबोर्ड को देखने से सब कुछ साफ-साफ आसानी से पता चल जाता है और विस्तार से हर फंड का डाटा भी देखने को मिल जाता है (**आकृति 9.3**)।

9.3.3 आंतरिक कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की सुविधा हेतु तकनीक

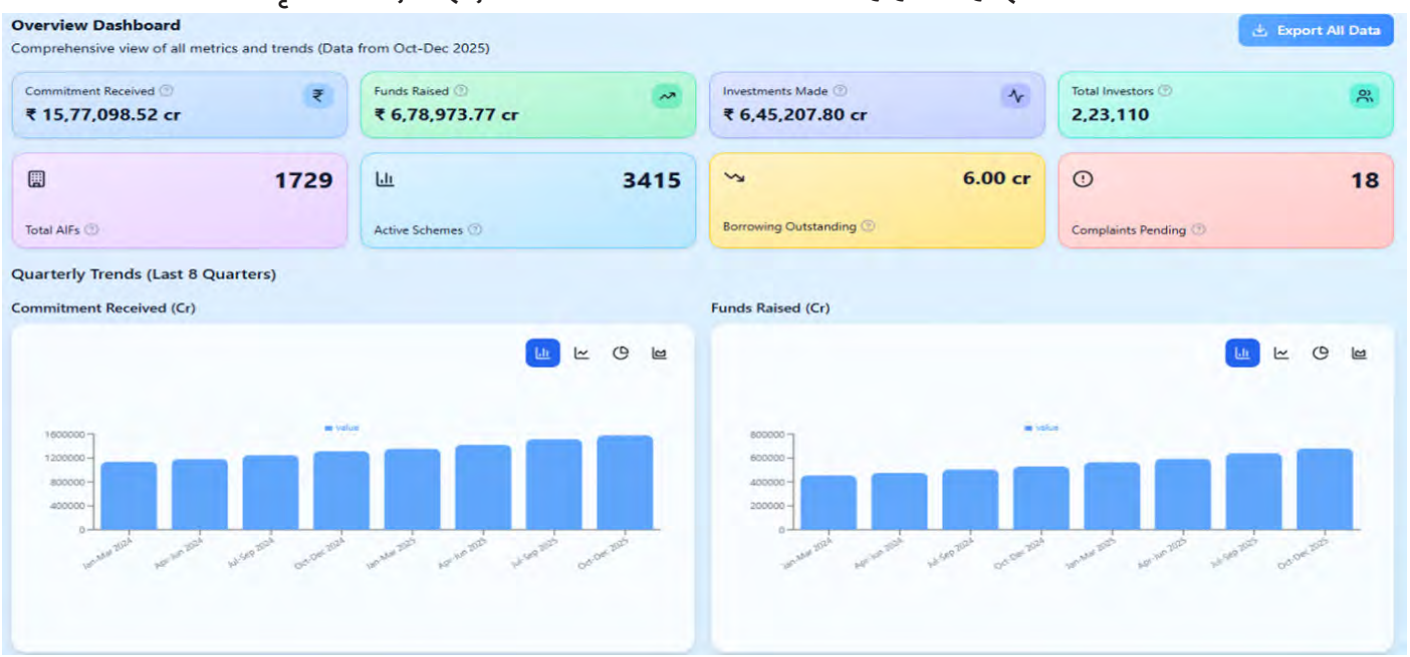
क. सेबी की वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए किए गए बदलाव: वर्ष 2025-26 के दौरान, सेबी की वेबसाइट को और बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए:

i. स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को तर्कसंगत बनाया गया;

ii. विधिक धारा (लीगल स्ट्रीम) के लिए बनाए गए इंटर्नशिप पोर्टल में सुधार करके इसे बेहतर बनाया गया और सामान्य धारा (जनरल स्ट्रीम) के लिए नया इंटर्नशिप पोर्टल बनाया गया;

iii. यंग प्रोफेशनल्स के लिए नया ऐप्लिकेशन मॉड्यूल बनाया गया;

आकृति 9.3: ए.आई.एफ. प्रावधानों आदि का पालन कर रहे हैं या नहीं इसका डैशबोर्ड



iv. सेबी के एच.आर.एम.एस. से सेबी की डाइरेक्टरी, विभागों के ब्यौरों और ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर को सिंक कर दिया गया, ताकि जब भी एच.आर.एम.एस. में कोई बदलाव हो, तो वह उनमें भी झलके।

ख. **केस मैनेजमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए किए गए बदलाव:** वर्ष 2025-26 के दौरान, केस मैनेजमेंट सिस्टम (सी.एम.एस.) को और बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए गए:

i. तलाशी और जब्ती से जुड़े कार्यों, जिन एस.सी.एन. की तामील न हो सकी उनकी डिलिवरी करने, संक्षिप्त निपटारे (समरी सेटलमेंट) संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं आदि को सिस्टम से ही करने के लिए मॉड्यूल बनाए गए, जिससे इन कार्यों से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी।

ii. ए.पी.आई. होल्डिंग स्टेटमेंट की शुरूआत की गई, ताकि शेयरों आदि में किए गए निवेश के आँकड़े (जिनकी पुष्टि भी की गई हो) कोई लेनदेन होते ही तुरंत मिल जाएँ, और साथ ही एंटिटी मास्टर ए.पी.आई. की शुरूआत की गई, ताकि सभी विभागों को किसी एंटिटी के ब्यौरे आदि उसके पैन के आधार पर मिल जाएं।

iii. सी.बी.डी.टी. के डाटा इंटरफेस को सी.एम.एस. से जोड़ दिया गया, जिससे प्राधिकृत अधिकारी कोई बदलाव होते ही जानकारी (जैसे नाम, पता, उम्र आदि) पैन के आधार पर तुरंत देख सकते हैं।

ग. **ई-ऑफिस:** सेबी ने एन.आई.सी. द्वारा बनाए गए ई-ऑफिस की शुरूआत की है। यह एप्लिकेशन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों/मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एप्लिकेशन के जरिए नई फाइल बनाई जा सकती है, फाइल आगे भेजी भी जा सकती है और यह भी देखा जा सकता है कि फाइल किस अधिकारी के पास है। इस तरह से अब पहले की तरह फाइलें इधर-उधर भिजवाने की जरूरत ही नहीं रही, और इसकी वजह से प्रक्रिया में तेजी आई है।

घ. **अध्यक्ष से सीधे मुलाकात:** अध्यक्ष से सीधे मुलाकात करने के लिए एक ऐप बनाया गया, ताकि पारदर्शिता का स्तर बढ़े। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से स्टाफ सदस्य अध्यक्ष से समय लेकर अपनी शिकायतों आदि के सिलसिले में उनसे सीधे संपर्क करके खुलकर बातचीत कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा वे तारीखें व समय डाल दिया जाता है जो अध्यक्ष से सीधे मुलाकात के लिए उपलब्ध होता है, और तदनुसार स्टाफ सदस्य सुविधाजनक रूप से इस पोर्टल पर जाकर अध्यक्ष से सीधे मुलाकात के लिए निवेदन कर सकते है।

ङ. **पी.ए.सी.एल. से संबंधित मामलों की रिपॉज़िटरी:** पी.ए.सी.एल. की सभी संपत्तियों का एक डाटाबेस तैयार करने और उस डाटाबेस में उन संपत्तियों के मामले में दर्ज की गई किन्हीं आपत्तियों को शामिल करने के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है। इस रिपॉज़िटरी से ही हजारों संपत्तियों की मौजूदा स्थिति की जानकारी देखी जा सकती है, यह देखा जा सकता है कि दावा करने वालों द्वारा क्या-क्या आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, और साथ ही निवारण की प्रक्रिया पर भी नज़र रखी जा सकती है। इस तरह पी.ए.सी.एल. की संपत्तियों आदि की बिक्री आदि की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

च. **एन.आई.सी. के ईमेल के इस्तेमाल की शुरूआत:** वर्ष 2025-26 के दौरान, सेबी ने कार्यालय में लगे ईमेल सिस्टम की जगह एन.आई.सी. के क्लाउड वाले ईमेल सॉल्यूशन को अपना लिया। इस नए सॉल्यूशन की सुविधाएँ इस प्रकार हैं – ईमेल भेजने की सुविधा, कैलेंडर बनाने की सुविधा, तत्काल संदेश भेजने की सुविधा, फाइल स्टोरेज की सुविधा, प्रोडक्टिविटी टूल्स की सुविधा, ऑटोमेटेड ईमेल रीले की सुविधा है, और टास्क मैनेजमेंट की सुविधा।

छ. **सैप एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग:** सैप एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का इस्तेमाल सेबी में सैप के जिन मॉड्यूल के लिए किया जाता है, उनमें शामिल हैं: सैप ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, सैप पेरोल एवं क्लेम्स, सैप फाइनेंस और कंट्रोलिंग तथा ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट।

वर्ष 2025-26 के दौरान, सेबी के सैप ई.आर.पी. सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए जो ऑटोमेशन और बदलाव किए गए, उनका जिक्र नीचे किया गया है:

i. स्टाफ सदस्यों को अदा किए जाने वाले वेतन और किए जाने वाले दावों के भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे और ज्यादा सुरक्षित बनाने के मद्देनजर, सेबी ने भुगतान की प्रक्रिया में ऑटोमेशन के लिए अपने बैंक के साथ "होस्ट-टू-होस्ट इंटिग्रेशन" किया। इस व्ययस्था में फाइलें सेबी के सर्वर से बैंक के सर्वर में अपने आप ही चली जाती हैं, और इस तरह से फाइलें ऑनलाइन ईमेल से भेजने या ऑफलाइन किसी दूसरे तरीके से भेजने की जरूरत अब नहीं है। नतीजतन, फाइलों के साथ छेडछाड़ होने और मालवेयर के जोखिम के कम होने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय भी काफी कम हो गया है।

ii. सेबी के प्रादेशिक कार्यालयों के बिलों का भुगतान करने के लिए भी "होस्ट-टू-होस्ट इंटिग्रेशन" किया गया। इससे भी वेंडरों को भुगतान करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया।

iii. एक नया लॉयर बिल पेमेंट मॉड्यूल लाया गया, जिससे सूची में शामिल वकील बिल सीधे जमा कर सकते है। इस सिस्टम में यह व्यवस्था की गई है कि विधि कार्य विभाग की मंजूरी अपने आप ही मिल जाती है, ई.आर.पी. में लेखा-जोखा अपने आप ही हो जाता है, और तो और भुगतान भी सीधे ही हो जाता है, और इस तरह से इस प्रक्रिया के लिए अलग से कर्मचारियों की जरूरत नहीं रह गई है।

iv. प्रादेशिक कार्यालयों, स्थानीय कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले छोटे-मोटे भुगतान और पी.एन.एस. पेडाइरेक्ट कार्ड के भुगतान अपने आप ही कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के जरिए होने की सुविधा दी गई है।

v. सैप के पेरोल सिस्टम में कर्मचारियों को बकाया राशि (एरिअर) के किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया को ऑटोमेट किया गया।

vi. यूजर के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए लोन मॉड्यूल में डिजिटाइज़ेशन के मद्देनजर कई बदलाव आदि किए गए।

ज. **जेन-ए.आई. के लिए रैपर ए.पी.आई.:** सेबी में ही जो टीमें ऐप्लिकेशन आदि बनाती हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिहाज से सेबी में रैपर ए.पी.आई. लगाए गए हैं। जेन-ए.आई. वाले कारगर ऐप्लिकेशन तैयार करने के मद्देनजर इसमें एडवांस्ड टेक्स्ट, वीडियो और इमेज प्रोसेसिंग की सुविधा भी दी गई है।

9.4 फिनटेक और रेगटेक

9.4.1 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में सेबी की भागीदारी

सेबी ने मुंबई में 7 से 9 अक्तूबर, 2025 के दौरान आयोजित किए गए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इस फेस्ट के दौरान सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय विनियामकों (रेग्यूलेटर्स), फिनटेक फर्मों, स्टार्ट-अप्स और सिक्यूरिटीज़ मार्केट से जुड़े लोगों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। सिक्यूरिटीज़ मार्केट के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में तकनीक का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है, इस विषय पर कुल 20 पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही, सेबी ने एम.आई.आई. के साथ मिलकर एक हैकेथॉन का भी आयोजन किया। इस हैकेथॉन में लोगों ने पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) से जुड़ी इन चुनौतियों से तकनीक के जरिए निपटने की दिशा में अपने सुझाव आदि दिए - धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए; छोटे निवेशकों को सिक्यूरिटीज़ मार्केट की जानकारी कैसे दी जाए और उन्हें इस बाजार से कैसे जोड़ा जाए; बॉण्ड बाजार में लिक्विडिटी की समस्या को कैसे दूर किया जाए और मेम्बर्स द्वारा प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस पर कैसे नज़र रखी जाए। इस हैकेथॉन में स्टार्ट-अप्स, छात्रों और तकनीक से जुड़े पेशेवर व्यक्तियों ने 872 आवेदन किए, जिनमें से 97 प्रोटोटाइप बनाए गए और 6 प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया गया।

9.4.2 आयस्को की फिनटेक टास्क फोर्स

सेबी आयस्को की फिनटेक टास्क फोर्स (एफ.टी.एफ.) का एक सदस्य है। एफ.टी.एफ. के वर्तमान में तीन कार्य-दल हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोकनाइजेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग विषयों पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सेबी क्यू.डब्ल्यू.जी का उपाध्यक्ष (वाइस-चेयर) है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्किंग ग्रुप (ए.आई.डबल्यू.जी.) और टोकनाइज़ेशन वर्किंग ग्रुप (टी.डबल्यू.जी.) का सदस्य है।

i. ए.आई.डबल्यू.जी. के सदस्य के तौर पर, सेबी ने सर्वेक्षण की प्रश्नावली तैयार करने, सर्वेक्षण में भारत के पूँजी बाजारों (कैपिटल मार्केट्स) की ओर से मिले जवाबों को संकलित करने और दुनियाभर में लोगों से मिले जवाबों का गहराई से विश्लेषण करने में अहम भूमिका निभाई। सेबी ने सुपरवाइज़री टूलकिट से संबंधित सुझावों की रिपोर्ट के तीन स्तरों में एक स्तर का अध्याय लिखा है, जिसकी वर्तमान में आयस्को के बोर्ड द्वारा समीक्षा की जा रही है और जो मंजूरी के अंतिम चरण में है।

ii. टी.डबल्यू.जी. के सदस्य के तौर पर, सेबी ने फाइनेंशियल असेट्स के टोकनाइजेशन पर प्रकाशित एफ.टी.एफ. की रिपोर्ट के लिए भारत में टोकनाइजेशन अपनाने की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए टी.डबल्यू.जी. द्वारा किए गए सदस्य सर्वेक्षण में हिस्सा लिया। इस रिपोर्ट के लिए, टी.डबल्यू.जी. अब टोकनाइजेशन को अपनाने और इक्विटी टोकन संबंधी स्थिति को अपडेट करने के दूसरे चरण पर कार्य कर रहा है। सेबी ने इस सर्वेक्षण की प्रश्नावली तैयार करने में योगदान दिया और साथ ही एफ.टी.एफ. के सदस्यों के सर्वेक्षण का विश्लेषण करने की तथा चरण 2 की रिपोर्ट को तैयार करने की खुद से पहल की है।

iii. क्यू.डब्ल्यू.जी. के सदस्य के तौर पर, सेबी ने एक अहम मुद्दे पर अपना योगदान दिया, जिसका विषय कुछ इस प्रकार था: *'क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमता का आकलन करना और यह आकलन करना कि क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, और साथ ही इस*

दिशा में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करना'। सेबी ने जोखिमों के आकलन, पी.क्यू.सी. ट्रांज़िशन के लिए अपनाए जा रहे तरीकों, आदि के संबंध में दुनियाभर में अपनाए जा रहे बेहतरीन तरीकों से सीखने के लिए आयस्को द्वारा साझा किए गए लिट्रेचर सर्वेक्षण की भी समीक्षा की।

9.4.3 सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इंडिया इनोवेशन पवेलियन

सेबी ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2025 में इंडिया इनोवेशन पवेलियन में यह दिखाया कि भारत का सिक्यूरिटीज़ मार्केट तकनीक के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। सेबी ने जो नए प्रोडक्ट दिखाए उनमें शामिल हैं:

i. @Valid [वैलिडेटेड यू.पी.आई. आई.डी. (हैंडल्स) – वे हैंडल्स जिनकी पुष्टि की गई हो] और सेबी चेक;

ii. लॉगिंग एंड मॉनीटरिंग ऐप्लिकेशन (एल.ए.एम.ए.) - यह ऐप्लिकेशन ट्रेडिंग मेम्बर्स को आई.टी. सिस्टम से जुड़े जोखिमों से पहले ही तैयार होकर निपटने में मदद करता है;

iii. इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन ऐक्सेस (आई.आर.आर.ए.) प्लेटफॉर्म - इस प्लेटफॉर्म का सहारा तब ले सकते हैं, जब ट्रेडिंग मेम्बर्स के आई.टी. सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए;

iv. रेडार [R(AI)DAR] - इस टूल के जरिए इस बात पर नज़र रखी जाती है कि क्या म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन सेबी द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहे हैं या नहीं;

v. साइबर सुरक्षा की दिशा में कदम उठाए गए (जैसे कि एम-एस.ओ.सी.) और साथ ही सिक्यूरिटीज़ मार्केट में साइबर हमलों की घटनाओं से निपटने की क्षमता और मजबूत करने के लिए तथा निवेशकों का भरोसा बरकरार रखने के लिए साइबर कैपेबिलिटी इंडेक्स लाया गया।

9.5 अन्य गतिविधियाँ

9.5.1 साइबर सुरक्षा के ऑडिट आदि

क. **सेबी में वी.ए.पी.टी.:** सेबी हर वर्ष अपने आई.टी. सिस्टम का वी.ए.पी.टी. करवाता है। वर्ष 2025-26 के लिए, सेबी ने अपने आई.टी. सिस्टम का वी.ए.पी.टी. करवाने का कार्य सर्ट-इन की सूची में शामिल एक नए ऑडिटर को सौंपा। नतीजन, वर्ष 2025-26 में वी.ए.पी.टी. के बाद की गई टिप्पणियों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 35 प्रतिशत की कमी आई।

ख. **आई.एस.ओ. 27001:2022 सर्टिफिकेशन:** सेबी ने 26 मार्च, 2024 को आई.एस.ओ. 27001: 2022 सर्टिफिकेशन सफलतापूर्वक तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त कर लिया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि सेबी ने अपने आई.टी. सिस्टम के लिए मानक इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम (आई.एस.एम.एस.) अपना लिया है। इस आई.एस.एम.एस. का पहला वार्षिक सर्वेलेंस ऑडिट मार्च 2025 में हुआ और दूसरा मार्च 2026 में। दोनों ऑडिट के बाद, ऑडिटर ने यह राय दी कि आई.एस.एम.एस. के लिए सेबी को जो आई.एस.ओ. 27001:2022 सर्टिफिकेशन मिला है, वह आगे भी मान्य रहेगा।

ग. **आई.टी. सिस्टम का ऑडिट और साइबर ऑडिट:** सिस्टम और साइबर ऑडिट करके यह पता लगाया जाता है कि आंतरिक व्यवस्थाएँ कितनी मजबूत हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है कि आई.टी. के संबंध में निर्धारित की गई नीतियों और साइबर सुरक्षा को लेकर निर्धारित की गई नीतियों का पालन किया जाए, और साथ ही जिससे कार्य भी बेहतर तरीके से हो पाते हैं। सेबी ने वर्ष 2025-26 के लिए अपने आई.टी. सिस्टम का ऑडिट और साइबर ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस वर्ष का ऑडिट सी.एस.सी.आर.एफ. से जुड़े नियंत्रणों के आधार पर किया गया।

घ. **"डिजिटल एक्सेसिबिलिटी" का ऑडिट:** सेबी ने डब्ल्यू.सी.ए.जी. के अंतरराष्ट्रीय मानदंड (2.2) के अनुसार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की "डिजिटल एक्सेसिबिलिटी" का ऑडिट करके यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे वेबसाइट और मोबाइल ऐप) का फायदा सभी को मिले, फिर चाहे वे दिव्यांगजन ही क्यों न हों।

ङ **सी.आई.एस.ओ. डैशबोर्ड:** सेबी ने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है, जिसे देखकर ही सी.आई.एस.ओ. सिस्टमों आदि की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी भी वक्त जान सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस डैशबोर्ड में एन.आई.एस.टी. द्वारा तय किए मानदंडों के अनुसार जानकारी उपलब्ध रहती है, ताकि हर लिहाज से हर जानकारी वहाँ उपलब्ध रहें। इस तरह से यहीं से

बुनियादी तौर पर पता चल जाए कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आखिरकार कहाँ है, और अगर कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हो रही हो, तो उसका भी पता चल जाए। साथ ही साथ, बारीकी से जाँच-परख करके गड़बड़ी की जड़ का भी पता लगाया जा सकता है और "क्वेरी एनालिसिस" करके जोखिमों का पहले ही पता लगाकर उन्हें दूर करने का काम किया जा सकता है।

9.5.2 सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर

वर्ष के दौरान, सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (एस.ओ.सी.) में अपनाई जा रही 12 तकनीकों को और बेहतर बनाया गया, जिनमें शामिल हैं - सिक्यूरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवैंट मेनेजमेंट, डाटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, डाटा क्लासिफिकेशन टूल, डी.एन.एस. सिक्यूरिटी, एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिसपॉन्स, एंडपॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड ट्रैफिक मैनेजमेंट, आई.टी. सर्विस मेनेजमेंट, नेक्स्ट जनरेशन इंट्रूज़न प्रीवेंशन सिस्टम, नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल और सैंडबॉक्सिंग सॉल्यूशन।

9.5.3 एम.आई.आई. के लिए तकनीक के क्षेत्र में भावी योजना हेतु कार्य-दल (वर्किंग ग्रुप)

एम.आई.आई. के लिए तकनीक के क्षेत्र में भावी योजना तैयार करने के लिए आई.आई.टी. बॉम्बे के प्रोफेसर एमिरिटस डॉ. डी.बी. पाठक की अध्यक्षता में एक कार्य-दल (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया गया है। यह भावी योजना आगामी 5 वर्षों और 10 वर्षों के लिए तैयार की जानी है। इस कार्य-दल की गठन इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह बाजार के कामकाज, निगरानी (सर्वेलेंस), जोखिमों से निपटने (रिस्क मैनेजमेंट), निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विनियामक (रेग्यूलेटरी) प्रावधानों के पालन पर नज़र रखने में तकनीक अपने पैर पसारती जा रही है, उसके मद्देनज़र भावी योजना तैयार करना लाज़िमी हो गया है। यह कार्य-दल इस बात पर नज़र रखेगा कि एम.आई.आई. किस तरह से आ रही नई-नई तकनीकों (जैसे ए.आई./एम.एल., डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, क्लाउड कम्प्यूटिंग, सुपटेक और रेगटेक, टोकनाइज़ेशन और "क्वांटम" से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए तैयार सिस्टम) को अपनाते हैं।